



दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस में सहायक वायरलेस ऑपरेटर/टेलीप्रिंटर ऑपरेटर (प्रधान सिपाही) की भर्ती-2010

दिल्ली पुलिस-2010 में पीबी-1 के वेतनमान रु० 5200-20200 + ग्रेड पे रु. 2400/- तथा अन्य भत्तों के लिये 603 सहायक वायरलेस ऑपरेटर/टेलीप्रिंटर ऑपरेटर (प्रधान सिपाही) के रिक्त पदों को भरने के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

भर्ती दिल्ली में आयोजित की जायेगी, जिसके लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करने वाले प्रत्याशी आवेदन कर सकते हैं :-

रिक्त पदों की संख्या					
	सामान्य	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल
खुला	181	103	44	34	362
विभागीय	120	69	29	23	241

2. अंतिम तिथि

आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 27.02.2010 होगी। इसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

3. पात्रता मानदंड

(क) राष्ट्रीयता : आवेदक भारत का मूल नागरिक होना चाहिए।

(ख) शैक्षिक योग्यता :

(i) आवेदन पत्र भरते समय गणित और विज्ञान विषय में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 (उच्चतर माध्यमिक) उत्तीर्ण होना चाहिए। अथवा

मैकेनिक-कम-ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्प्युनिकेशन सिस्टम में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र होना चाहिए

(ii) कम्प्यूटर की जानकारी के साथ-साथ अंग्रेजी की टंकन गति 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए।

(ग) आयु : 01.01.2010 को 18 से 27 वर्ष अर्थात् 02.01.1983 से पहले तथा 01.01.1992 के बाद पैदा न होने वाले पात्र होंगे। निर्धारित आयु में छूट केवल निम्नलिखित मामलों में दी जाएगी :-

(i) अ.पि.व. प्रत्याशियों को अधिकतम 30 वर्ष तक की छूट। यह छूट उन जातियों के मामले में देय है जिन्हें केन्द्रीय सूची और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गई सूची में अधिसूचित किया गया है। इस साक्ष्य में कोई अन्य प्रमाण पत्र स्वीकृत नहीं होगा।

(ii) अ.जा./अ.ज.जा. के प्रत्याशियों के लिए 32 वर्ष तक की छूट।

(iii) दिल्ली पुलिस के विभागीय प्रत्याशी के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट 40, 43 और 45 वर्ष, अनारक्षित, अ.पि.व. और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए। विभागीय उम्मीदवार से अभिप्राय है दिल्ली पुलिस में न्यूनतम 3 वर्षों से नियमित रूप से सेवारत कर रहे कांस्टेबल।

(iv) 35, 38 और 40 वर्ष अनारक्षित, अ.पि.व. और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति की महिला उम्मीदवारों, विधवा/तलाकशुदा महिला/न्यायिक रूप से पृथक रह रही ऐसी महिला, जिसने पुनः विवाह न किया हो।

(अ) विशिष्ट खेलों के उन खिलाड़ियों को 5 वर्ष तक की छूट है, जिन्होंने खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया है। जिन खेलों के लिए रियायत दी गई है उसकी जानकारी नीचे एनेक्सर 'ए' में उपलब्ध है। यदि कोई प्रत्याशी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति श्रेणी का है और उपरोक्त मानदण्ड भी पूरा करता है तो उसे ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम पांच वर्ष

तथा अनुच्छेद (ii) में निर्धारित छूट की पात्रता है। इस प्रकार वह ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष की छूट का पात्र है।

एनेक्सर 'ए'

खेल/क्रीड़ा की सूची, जिनके लिए छूट उपलब्ध है:

एथेलेटिक्स	तैराकी	शूटिंग	बॉक्सिंग
केनोइंग	साइकलिंग	कुश्ती	जिमनेस्टिक्स
जूडो	रोइंग	वेटलिफ्टिंग	फेंसिंग
कराटे	घुड़सवारी	आरचरी	टेबिल टेनिस
टेनिस	बैडमिंटन	डाइविंग	ट्रायथलॉन
वॉलीबॉल	वॉटर पोलो	नेटबॉल	खो-खो
बास्केट बॉल	फुटबॉल	कबड्डी(सर्किल/बीच)	हैंडबॉल
हॉकी	क्रिकेट	गोल्फ	पावर लिफ्टिंग

4. शारीरिक मापदंड

- (क) कद: पुरुष आवेदक : 170 से.मी., 5 से.मी. की छूट पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी जैसे गढ़वाली, कुमाउंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और लेह तथा लद्दाख क्षेत्र के लिए होगी (इस छूट का दावा करने वाले प्रत्याशियों को अपने निवास स्थान के सक्षम प्राधिकारी अर्थात जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/एसडीएम या तहसीलदार की ओर से जारी (पहाड़ी क्षेत्र प्रमाण पत्र) शारीरिक माप परीक्षा के समय प्रस्तुत करना होगा)।
- महिला आवेदक : 157 सें.मी., पहाड़ी क्षेत्र के निवासियों के प्रत्याशियों के लिए 5 सें.मी. की छूट जिन्हें पहाड़ी क्षेत्र के होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- छाती : पुरुष आवेदक : 81-85 सें.मी., पहाड़ी क्षेत्र के निवासियों के लिए 5 सें.मी. की छूट जिन्हें पहाड़ी क्षेत्र के होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- नोट : सभी प्रत्याशियों के लिए छाती को न्यूनतम 4 सें.मी. फुलाना अनिवार्य है। इसमें असफल रहने पर वे अयोग्य माने जायेंगे।

5. चिकित्सा मानक :

प्रत्याशी का स्वास्थ्य अच्छा, किसी दोष, विकृति या रोग से मुक्त होना चाहिए। अच्छी आंखें 6/6 (चश्मे के बिना) होनी चाहिए। खराब आंखें 6/36 (चश्मे के साथ करेकटेड 6/9 अथवा 6/12 बिना चश्मे के (दोनों आंखें) इस विषय पर किसी भी श्रेणी के प्रत्याशी को कोई छूट नहीं दी जाएगी।

6. आवेदन पत्र की उपलब्धता :

आवेदन पत्र निम्नलिखित में से किसी एक माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है:-

समाचार पत्रों में छपे आवेदन पत्र जो कि इस विज्ञापन का हिस्सा हैं।

आवेदन पत्र दिल्ली पुलिस की वेबसाइट www.delhipolice.nic.in अथवा www.delhipolicerecruitment.nic.in पर उपलब्ध हैं।

रोजगार समाचार में प्रकाशित अथवा वेबसाइट में उपलब्ध प्रारूप के अनुसार ए4 साइज के कागज पर फोटोकॉपी किया गया आवेदन पत्र।

7. आवेदन पत्र भरने का तरीका

आवेदक इस विज्ञापन से आवेदन प्रपत्र काट कर और उसे विधिवत भर कर भेज सकते हैं।

अथवा

विज्ञापन में दिए गए प्रारूप के अनुसार ए4 साइज के कागज पर टाइप/फोटोकॉपी करा कर तथा भर कर भेजा जा सकता है।

i) केवल विज्ञापन/वेबसाइट में दिए गए प्रारूप में आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाएगा।

ii) उचित स्थान पर एक फोटो चिपकाएं।

iii) "उपायुक्त पुलिस/भर्ती, न्यू पुलिस लाइन, दिल्ली" के पक्ष में (दिल्ली में भुगतान योग्य) 100/- रु० का डिमांड/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक 6 महीने के लिए वैध हो संलग्न किया जाए।

विधिवत रूप से भरे हुए आवेदन पत्र के साथ डिमांड/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संलग्न करते हुए साधारण डाक से पोस्ट बॉक्स नं. 8020, दिल्ली-110033 के पास और लिफाफे पर 'दिल्ली पुलिस में सहायक वायरलेस ऑपरेटर/टेलीप्रिंटर ऑपरेटर (प्रधान सिपाही) की भर्ती-2010 लिख कर भेजे जाने चाहिए।

टिप्पणी : भर्ती योजना के तहत आवेदन पत्र के साथ कोई दस्तावेज भेजना अपेक्षित नहीं है और प्रत्याशी द्वारा दी गई जानकारी को सही माना जाएगा। 100/- रु. के शुल्क से छूट पाने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के प्रत्याशियों को अपनी श्रेणी का प्रमाणपत्र जैसे डिस्चार्ज बुक और जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटोकॉपी संलग्न करनी होगी।

8. ए) शारीरिक क्षमता परीक्षा (अर्हकारी) पुरुष आवेदकों के लिए

i)	1600 मीटर की दौड़	07 मिनट	(अर्हकारी)
दौड़ में सफल रहने वालों को निम्नलिखित परीक्षाओं में शामिल होना है।			
ii)	लम्बी कूद	12) फीट (12' 6")	(तीन अवसरों में से एक में अर्हता कूद प्राप्त करनी होगी)
iii)	ऊँची कूद	3) फीट (3' 6")	(उपरोक्त)

टिप्पणी : दौड़, लंबी कूद और ऊँची कूद में असफल होने पर किसी प्रकार की कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

शारीरिक मापदण्ड परीक्षा (अर्हकारी)

विभागीय प्रत्याशी तथा भूतपूर्व प्रत्याशी हेतु शारीरिक क्षमता परीक्षा अर्हकारी (आयुवार) नीचे दिए अनुसार होगी।

i) 1600 मीटर की दौड़ (अर्हकारी) :

आयुवार

30 वर्ष से अधिक एवं 40 वर्ष की आयु तक 08 मिनट

40 वर्ष से अधिक की आयु के लिए 09 मिनट

ii) लम्बी कूद :

आयुवार

30 वर्ष से अधिक एवं 40 वर्ष की आयु तक 11½ फीट (11' 6") तीन अवसरों में से किसी एक में अर्हकारी)

40 वर्ष से अधिक की आयु के लिए 10½ फीट (10' 6") तीन अवसरों में से किसी एक में अर्हकारी)

iii) ऊँची कूद :

आयुवार

30 वर्ष से अधिक एवं 40 वर्ष की आयु तक 3¼ फीट (3' 3") तीन अवसरों में से किसी एक में अर्हकारी)

40 वर्ष से अधिक की आयु के लिए 03 फीट तीन अवसरों में से किसी एक में अर्हकारी)

टिप्पणी : दौड़, लंबी कूद और ऊँची कूद में असफल होने पर किसी प्रकार की कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

बी) शारीरिक क्षमता परीक्षा (अर्हकारी) महिला आवेदकों के लिए

i)	800 मीटर की दौड़	05 मिनट	(अर्हकारी)
दौड़ में सफल रहने वालों को निम्नलिखित परीक्षाओं में शामिल होना है।			
ii)	लम्बी कूद	09 फीट	(तीन अवसरों में से एक में अर्हता कूद प्राप्त करनी होगी)
iii)	ऊँची कूद	03 फीट	(उपरोक्त)

टिप्पणी : दौड़, लंबी कूद और ऊँची कूद में असफल होने पर किसी प्रकार की कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

विभागीय प्रत्याशी महिला आवेदकों हेतु शारीरिक क्षमता परीक्षा (आयुवार) नीचे दिए अनुसार होगी।

i)	800 मीटर की दौड़ (अर्हकारी) :	
	आयुवार	
	30 वर्ष से अधिक एवं 40 वर्ष की आयु तक	06 मिनट
	40 वर्ष से अधिक की आयु के लिए	07 मिनट
ii)	लम्बी कूद :	
	आयुवार	
	30 वर्ष से अधिक एवं 40 वर्ष की आयु तक	08 फीट तीन अवसरों में से किसी एक में अर्हकारी)
	40 वर्ष से अधिक की आयु के लिए	07 फीट तीन अवसरों में से किसी एक में अर्हकारी)
iii)	ऊँची कूद :	
	आयुवार	
	30 वर्ष से अधिक एवं 40 वर्ष की आयु तक	2½ फीट (2' 6") तीन अवसरों में से किसी एक में अर्हकारी)
	40 वर्ष से अधिक की आयु के लिए	2¼ फीट (2' 3") तीन अवसरों में से किसी एक में अर्हकारी)

टिप्पणी : दौड़, लंबी कूद और ऊँची कूद में असफल होने पर किसी प्रकार की कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

9. मूल प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का निरीक्षण

(i) शारीरिक क्षमता एवं मापदण्ड परीक्षा के बाद सफल प्रत्याशियों के सभी मूल प्रमाण पत्रों जैसे आयु, शिक्षा, जाति, पहाड़ी क्षेत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र/सेवा निवृत्ति प्रमाण (भूतपूर्व सैनिकों के मामले में), एनसीसी (यदि कोई है) प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र तथा आयु में छूट चाहने वाले आवेदकों की विधवा/तलाकशुदा/न्यायिक रूप से पृथक रह रही महिला की जाँच टंकण परीक्षा के समय उसी दिन की जायेगी। सभी आवेदकों को अपने दस्तावेज मूल प्रमाण पत्र तथा उनकी सत्यापित प्रतियाँ शारीरिक क्षमता एवं मापदण्ड परीक्षा वाले दिन लाने होंगे।

10. लिखित परीक्षा:

सभी प्रत्याशी, जो शारीरिक क्षमता और माप-तौल परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त करते हैं, उन्हें तीन (1½) घंटे की अवधि के लिए एक लिखित परीक्षा में बैठना होगा जिसमें 90 अंक होंगे। प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा जिसमें सामान्य ज्ञान (20 अंक) सामान्य विज्ञान (25 अंक) गणित (25 अंक) रीजनिंग (20 अंक) शामिल होगा। प्रश्न पत्र द्विभाषी (हिन्दी व अंग्रेजी) में होगा।

11. दक्षता एवं टंकण परीक्षा

विभागीय उम्मीदवारों तथा खुले बाजार श्रेणी दोनों के लिये उनके संबंधित श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी अर्थात् सामान्य/अ.पि.व./अ.जा./अ.ज.जा. एवं भूत-पूर्व सैनिकों के प्रतिभा के क्रम में रिक्तियों की संख्या के पांच (05) गुणा उम्मीदवार दक्षता परीक्षा के लिये योग्य होंगे।

दक्षता परीक्षा : टंकण परीक्षा में शामिल होने के लिये उम्मीदवारों की पात्रता के लिये दक्षता परीक्षा अनिवार्य होगा। यह परीक्षा पढ़ना एवं डिक्टेसन के रूप में ली जायेगी। उम्मीदवारों को समूहों में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में डिक्टेसन दिया जायेगा। परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार को हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में दिये गये पाठ से एक पैसेज पढ़ना होगा।

टंकण परीक्षा : दक्षता परीक्षा में योग्य पाये गये उम्मीदवारों को अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर/टाइप राइटर पर टंकण परीक्षा में शामिल होना होगा जो अनिवार्य होगा। यह टंकण परीक्षा 10 मिनट की अवधि की होगी तथा इसमें अधिकतम 10 अंक होंगे। इसके लिये उम्मीदवारों को टंकण परीक्षा में अर्जित स्पीड के अनुसार अंक आंबटित किये जाएंगे।

12. सामान्य अनुदेश:

i) आवेदन पत्र निम्नलिखित परिस्थितियों में अस्वीकार कर दिए जाएंगे :-

- क) अपूर्ण आवेदन पत्र
- ख) 100/- रु. के डिमांड/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के बिना
- ग) एक से अधिक आवेदन पत्र
- घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/भूतपूर्व सैनिक के मामले में शुल्क में छूट हेतु सम्बंधित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियों के बिना।
- ङ) बिना फोटोग्राफ के।
- च) अभ्यर्थी के हस्ताक्षर रहित आवेदन पत्र।

- ii) 10% रिक्तियाँ भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार भूत-पूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित हैं।
- iii) कद एवं सीना में छूट की मांग करने वाले उम्मीदवारों को उनकी शारीरिक माप के समय में संबंधित मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा।
- iv) दिल्ली के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र के अ.पि.व. की श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों की निर्धारित प्रारूप पर अ.पि.व. का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जो भारत सरकार के अंतर्गत नियुक्ति के लिये वांछित हैं।
- v) यदि शब्दों/अनुदेशों की व्याख्या में कोई भिन्नता है तो अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा और पुलिस मुख्यालय का निर्णय अंतिम माना जाएगा।
- vi) पहले से सरकारी सेवारत प्रत्याशी अपने मुख्य अधिकारी/ विभाग को सूचित करने के बाद आवेदन कर सकते हैं तथा उन्हें उचित माध्यम से अन्य प्रति भेजने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें आवेदन पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा। उन्हें साक्षात्कार के समय अपने विभाग से प्राप्त किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- vii) यदि किसी भी अवस्था में प्रत्याशी की अपात्रता का पता चलता है तो बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- viii) प्रत्याशी को अपनी ऊंचाई, छाती और शैक्षिक योग्यता के बारे में सुनिश्चित होना चाहिए और उसे निर्धारित किए गए न्यूनतम मानकों के अनुरूप होना चाहिए।
- ix) यदि पहले घोषित कार्यक्रम में कोई बदलाव होता है तो इसकी जानकारी उपायुक्त पुलिस/भर्ती, न्यू पुलिस लाइन्स, किंगजवे कैम्प, दिल्ली के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाएगी तथा वेबसाइट : के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जाएगी।
- x) प्रत्याशी को उपायुक्त पुलिस/भर्ती प्रकोष्ठ के साथ कोई पत्राचार करते समय आवेदन पर अपना रोल नंबर/पंजीकरण संख्या लिखनी चाहिए। यह इस पते पर भेजा जाए : उपायुक्त पुलिस/ भर्ती प्रकोष्ठ, न्यू पुलिस लाइन्स, किंगजवे कैम्प, दिल्ली – 110009
- xi) प्रत्याशियों को सलाह दी जाती है कि वह अपने पास आवेदन पत्र, एडमिट कार्ड तथा प्रवेश पत्र की फोटोकॉपी (लिखित परीक्षा के समय) पूर्व संदर्भ के लिए सम्भाल कर रख लें।
- xii) पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में अनुदेश का माध्यम हिन्दी है।
- xiii) सभी प्रत्याशियों को शारीरिक क्षमता एवं मापदण्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाक द्वारा भेजे जाएंगे। शारीरिक क्षमता एवं मापदण्ड परीक्षा में सफल प्रत्याशियों को लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र शारीरिक क्षमता एवं मापदण्ड परीक्षा के बाद उसी दिन ग्राऊण्ड में ही जारी किए जाएंगे।
- xiv) कोई यात्र भत्ता/दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा।

अतिरिक्त उपायुक्त पुलिस,
स्थापना, दिल्ली

